कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/64/2022

प्रतिमा पत्नी जीतेन्द्र सिंह क्वार्टर नं. आर4/03 थर्मल पॉवर कालौनी धौलपुर जिला धौलपुर।

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग, कलैक्ट्रेट, भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 25.8.2022**

अपीलार्थी की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट प्रतिमा पत्नी जीतेन्द्र सिंह क्वार्टर नं. आर4/03 थर्मल पॉवर कालौनी धौलपुर जिला धौलपुर द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र 15.6.2022 से लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रार्थी अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/कोर्ट/2022/582 दिनांक 4.8.2022 से लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक/सामान्य/2020/आरटीआई/अपील/7052 दिनांक 10.8.2022 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी का कथन है कि लोक सूचना अधिकारी ने चाही गई सूचना उसे उपलबध नहीं कराई गई है, सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट भरतपुर का जबाब पत्र क्रमांक/ सामान्य/2020/आरटीआई/ अपील/7052 दिनांक 10.8.2022 का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम के तहत प्रेषित प्रार्थना पत्र तारीख 15.06.2022 लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट कार्यालय भरतपुर को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलैक्ट्रेट, भरतपुर द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित अधिकारी क्रमशः 1. प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट, भरतपुर, 2. प्रभारी अधिकारी लोक सेवा अनुभाग कलैक्ट्रेट, भरतपुर, 3. तहसीलदार कुम्हेर, 4.विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर को जरिये पत्र क्रमांक/सामान्य/आरटीआई (129)/2022/5056–59 दिनांक 01.07.2022 से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु भिजवाया गया है। अपीलार्थी की अपील से जाहिर आता है कि उक्त 1 लगायत 4

..........2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0)

अधिकारियों द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचनाऐ उपलब्ध नहीं कराई गई है। अस्तु अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। 1. प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट, भरतपुर, 2. प्रभारी अधिकारी लोक सेवा अनुभाग कलैक्ट्रेट, भरतपुर, 3. तहसीलदार कुम्हेर, 4.विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना अन्दर 15 दिवस प्रार्थी को उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को तथा 1. प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख अनुभाग कलैक्ट्रेट, भरतपुर, 2. प्रभारी अधिकारी लोक सेवा अनुभाग कलैक्ट्रेट, भरतपुर, 3. तहसीलदार कुम्हेर, 4. विकास अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर को पत्रादि की फोटो प्रति संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित हो। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर